न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 100/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/132)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जशन बराड पुत्र मेवा सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 03, चक 4 एस तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरनीन कौर पुत्री मेवा सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 03, चक 4 एस तहसील श्रीकरणपुर।		1. मेवा सिंह पुत्र जसमत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 03, चक 4 एस तहसील श्रीकरणपुर। 2. वीरपाल कौर पत्नी मेवा सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 03, चक 4 एस तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 23.04.2025

उपस्थितः 1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादीगण

—निर्णय— **दिनांकः 21.05.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 मेवा सिंह के नाम राजस्व ग्राम 4 एस, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33/29 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 15, 71 की कुल 5.311 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 34/28 के मुरब्बा नम्बर 2, 71/1 की कुल 5.817 हैक्टेयर भूमि में से 4.072 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पारिवारिक व खरीदशुदा सम्पति है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता एंव प्रतिवादी संख्या 2 उनकी माता है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से स्नेह कम है। प्रतिवादी संख्या 1 अक्सर ज्यादा समय बाहरी स्थानों पर व्यतीत करता है और परिवार में कोई रूचि नहीं रखता है। वादीगण की पढाई लिखाई आदि पर होने वाले खर्च का निर्वहन भी प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा नही किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 2, वादीगण के साथ ही निवासरत है। जिसके द्वारा वादीगण की तमाम सार संभाल की जा रही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने कई बार प्रतिवादी संख्या 2 व वादीगण के साथ मारपीट भी कर चुका है। जिसमें कई बार पंचायते हुई। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 पंचायती व्यक्तियों के सामने गलती स्वीकार करता। लेकिन उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व की भांति कृत्य करता रहता है। आज से छः माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व वादीगण को अत्यधिक प्रताडित करने लगा, जिस पर पंचायती रिश्तेदारों के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को आपत्ति प्रकट कर समझाया गया। कि तुम्हारे बेटा व बेटी बालिग हो चुके है, यदि उनको तंग करते रहे तो उनके जीवन तथा उनकी पढाई पर गलत प्रभाव पडेगा। यदि उक्त वर्णित भूमि का बेचान किसी तृतीय पक्ष को कर कही बाहर चले जाते हो तो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को काफी क्षति होगी। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने पंचायती व्यक्तियों के सामने ही अपनी स्वेच्छा से अपने नाम से वर्णित भूमि में से वादी संख्या 1 जशन बराड को चक 4 एस के खाता संख्या 33 की कुल 5.311 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 34 में 1.012 हैक्टेयर कुल 6.323 हैक्टेयर भूमि तथा वादी संख्या 2 गुरनीन कौर को खाता संख्या 34 में 1.897 हैक्टेयर भूमि सुपूर्द करने हेतु सहमति दी। प्रतिवादी संख्या 1 ने पंचायत के सामने खुद को पाबंद किया था कि वह जल्द ही उक्त भूमि वादीगण के हक में राजस्व अभिलेख में अंकित करवा देगा। यदि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वायदे से मुकरता है तो पंचायती व्यक्तियों व प्रतिवादी संख्या 2 व वादीगण को अधिकार होगा कि वह प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व समक्ष न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगे। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के नाम आज तक भूमि का अंकन नहीं करवाया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी संख्या 1 जशन बराड को चक 4 एस के खाता संख्या 33 की कुल 5.311 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 34 में 1.012 हैक्टेयर कुल 6.323 हैक्टेयर भूमि का तथा वादी संख्या 2 गुरनीन कौर को खाता संख्या 34 में 1.897 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं उक्तानुसार अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को डिक्री पारित की जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी जशन बराड, गुरनीन कौर व प्रतिवादी मेवा सिंह के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा/समझौतानामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 मेवा सिंह पुत्र जसमत सिंह के नाम दर्ज चक 4 एस, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33/29 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 15, 71 की कुल

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

5.311 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 34/28 के मुरब्बा नम्बर 2, 71/1 की कुल 5.817 हैक्टेयर भूमि में से 4.072 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 जशन बराड को चक 4 एस के खाता संख्या 33 की कुल 5.311 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 34 में 1.012 हैक्टेयर कुल 6.323 हैक्टेयर भूमि का तथा वादी संख्या 2 गुरनीन कौर को खाता संख्या 34 में 1.897 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है, तो हम प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति, एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 वीरपाल कौर के द्वारा न्यायालय में शपथ पत्र पेश कर अर्ज किया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। तो मुझ प्रतिवादी संख्या 2 को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने वादीगण का वादपत्र उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, समझौतानामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 मेवा सिंह पुत्र जसमत सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 4 एस, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33/29 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 15, 71 की कुल 5.311 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 34/28 के मुरब्बा नम्बर 2, 71/1 में 2.909 हैक्टेयर भूमि में से 1.012 हैक्टेयर भूमि, कुल 6.323 हैक्टेयर भूमि का वादी जशन बराड पुत्र मेवा सिंह को तथा राजस्व ग्राम 4 एस, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 34/28 के मुरब्बा नम्बर 2, 71/1 में 2.909 हैक्टेयर भूमि में से 1.897 हैक्टेयर भूमि का वादी संख्या 2 गुरनीन कौर पुत्री मेवा सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जशन बराड आदि बनाम मेवा सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर **100/2025**
निर्णय दिनांक :-21.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 मेवा सिंह पुत्र जसमत सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 4 एस, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33/29 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 15, 71 की कुल 5.311 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 34/28 के मुरब्बा नम्बर 2, 71/1 में 2.909 हैक्टेयर भूमि में से 1.012 हैक्टेयर भूमि, कुल 6.323 हैक्टेयर भूमि का वादी जशन बराड पुत्र मेवा सिंह को तथा राजस्व ग्राम 4 एस, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 34/28 के मुरब्बा नम्बर 2, 71/1 में 2.909 हैक्टेयर भूमि में से 1.897 हैक्टेयर भूमि का वादी संख्या 2 गुरनीन कौर पुत्री मेवा सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 21.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	1450	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1454**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/304 दिनांकः 21.05.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर